चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E.mail : registrar@ccsuniversity.ac.in NAAC A++ Website : www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक :– आर0ओ0/1202/2025–26 दिनांक :– 13-07-2026

सेवा में,

01. सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

02. समस्त विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/निदेशक,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।

महोदय/महोदया,

कृपया, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांकः ई–3964/जी0एस0 दिनांक 17.06.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो की प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ जन भवन, लखनऊ में आहूत समीक्षा बैठक के सन्दर्भ में हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपर्युक्त बैठक में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा पावर प्वांइट प्रस्तुतीकरण किया गया था। समीक्षा बैठक में मा0 कुलाधिपति महोदया द्वारा विभिन्न विषयों पर निर्देश प्रदान किये गये थे। मा0 कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को उत्कृष्ट बनाने हेतु सुझाव एवं दिशा निर्देश प्रदान किये गये है, जो कि निम्नवत है:–

- जिन विश्वविद्यालयों में नैक मूल्यांकन बाकी है उन्हें शीघ्र ही बेसिक नैक मूल्यांकन शुरू होते ही नैक परिषद में अपना रिपोर्ट सम्पूर्ण तैयारी के साथ प्रस्तुत कर देना चाहिये। जिन महाविद्यालयों ने अद्यतन नैक मूल्यांकन नहीं करवाया है अथवा पाँच वर्ष का समय पूर्ण हो चुका है ऐसे महाविद्यालयों को शासन का मार्गदर्शन प्राप्त कर पूरी तैयारी के साथ में नैक मूल्यांकन करवाना चाहिये।
- जिन विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को पूर्व में नैक ग्रेड प्राप्त हो चुका है उन्हे नैक पीयर टीम द्वारा जो सुझाव/निर्देश दिये गये है, उस पर पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करना चाहिये। जिससे आगामी मूल्यांकन में उच्चतर ग्रेड प्राप्त हो सके।
- विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैकिंग फ्रेमवर्क तथा अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय रैकिंग में भी उत्कृष्ट रैंक प्राप्त करने के लिये चरणबद्ध योजना के साथ आगे बढना चाहिये।
- विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी भर्ती आयोगों (शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों से सुसंगत) को ससमय अधियाचन प्रेषित करना चाहिए। निर्धारित समय–सीमा में चयन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु भी निर्देशित किया जाना चाहिए।
- आगामी शैक्षणिक सत्र, जुलाई, 2026 से प्रारम्भ हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में यदि नये अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो इसका सीधा लाभ छात्रों की शैक्षिक गतिविधियों को गति प्रदान करने हेतु होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही स्थानांतरण के समय ही गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति भी ससमय पूर्ण की जानी चाहिये।

- प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में, जिन विषयों में कोई छात्र नहीं है, ऐसे विषयों को चिन्हित कर, उन महाविद्यालयों से, ऐसे विषयों के शिक्षकों को हटाकर (उसी विषय के) अधिक संख्या वाले महाविद्यालयों में स्थानांतरित करना चाहिये।
- नवस्थापित महाविद्यालयों में सभी पाठयक्रम एक साथ संचालित नहीं करना चाहिए। छात्रों की मांग पर धीरे–धीरे पाठयक्रमों में वृद्धि करनी चाहिए।
- पुराने महाविद्यालयों में जिन विषयों में छात्र संख्या–50 से कम है, ऐसे महाविद्यालयों में वोकेशनल/स्किल डेवलपमेंट के कोर्स PPP (Public Private Partnership) मॉडल पर संचालित करने हेतु शासन से नीति निर्धारित करनी चाहिए अथवा उन्हें समाजसेवियों के माध्यम से संचालित किये जाने पर विचार करना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स (ए0आई) साइबर सिक्योरिटी, स्किल बेस्ड कोर्सेज, वोकेशनल, फोरेन्शिक सांइस, डिफेन्स, इसरो (ISRO) द्वारा संचालित शार्ट टर्म कोर्सेज, अन्य रोजगारपरक पाठयक्रम संचालित किये जाने चाहिये।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का क्रियान्वयन पूर्ण रूप से संस्थाओं में लागू होना चाहिये। विश्वविद्यालयों को मेजर तथा माइनर डिग्री के लिये भी प्रावधान करना, सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यापक तथा छात्र परिसर के निर्माण कार्यो का परीक्षण करें।
- समस्त महाविद्यालयों को ऐसे विषयों की समय–सारणी अन्य महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के साथ मैपिग/Synchronize कर साझा करनी चाहिए जिन विषयों के अध्यापक नहीं है, उन विषयों की कक्षायें सम्बन्धित विश्वविद्यालयों एवं/अथवा अन्य समीपस्थ महाविद्यालयों से ऑनलाईन व्यवस्था किये जाने हेतु समय–सारणी की मैपिंग/ Synchronize समन्वय करते हुए क्रियान्वित की जानी चाहिए।
- राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से समूह–'घ' के कार्मिकों की सेवाये उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त बजट की व्यवस्था शासन से की जानी चाहिए।
- समीक्षा बैठक के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि प्रदेश में कई अनुदानित महाविद्यालयों में छात्र संख्या 05 हजार से 10 हजार तथा एक महाविद्यालय में तो छात्र संख्या–16 हजार से भी अधिक पायी गयी। उच्च शिक्षा विभाग को इस विषय का भी संज्ञान लेकर एक महाविद्यालय की अधिकतम छात्र संख्या निर्धारित करनी चाहिये।
- अनुदानित महाविद्यालयों में एक ही प्राचार्य जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, वह अलग–अलग स्ववित्तपोषित पाठयक्रमों का भी संकलन एवं संचालन करते है। इस व्यवस्था पर भी उच्च शिक्षा विभाग को विचार करना चाहिए।
- बैठक के दौरान संज्ञान में आया है कि वाणिज्य संकाय में अलग–अलग कोर्स/विषय यथा एकाउन्टेंसी, कॉमस/मैनेजमेंट, अर्थशास्त्र, बैंकिग, सांख्यिकी, मरकेन्टाइल लॉ जैसे पाठयक्रम एक ही अध्यापक के द्वारा पढाये जा रहे हैं, जो विचारणीय विषय है।
- समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को अनिवार्य रूप से उन्नत भारत अभियान के अन्तर्गत 03 या 04 गांव गोद लेकर उनके काया कल्प के प्रयास करने चाहिए।
- महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों हेतु रिसर्च पेपर, बुक चैप्टर, बुक पब्लिकेशन इत्यादि के कार्य प्रतिवर्ष करने हेतु अनिवार्य किया जाना चाहिए।

- सभी महाविद्यालयों को अपने महाविद्यालय की मैगजीन आनलाइन/भौतिक रूप से प्रतिवर्ष प्रकाशित करनी चाहिए।
- समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अपने छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण पर वर्ष में 01 बार अवश्य ले जायें तथा भ्रमण के पश्चात छात्र–छात्राओं से भाषण, पेटिंग एवं निबन्ध लेखन के कार्य उनके शैक्षणिक भ्रमण के अनुभवों के आधार पर कराते हुये 01 या 02 पुस्तक का प्रकाशन कराना चाहिए।
- महाविद्यालयों के पास विभिन्न कार्यों हेतु कोष उपलब्ध कराने वाले फंडिंग एजेन्सियों की सूची होनी चाहिए तथा फंडिंग एजेन्सियों से समन्वय कर अधिकाधिक विकासात्मक कार्यों हेतु फंड प्राप्त करने हेतु प्रयास करने चाहिए।
- पुरातन परिषद की बैठक आयोजित करते समय प्रत्येक पुरातन छात्र को 05–05 आवेदन पत्र अतिरिक्त प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने–अपने सहपाठियों को पुरातन परिषद् से जोड़ सकें।
- संयुक्त प्रकाशन एव संयुक्त शोध को बढ़ावा दिया जाए। पेटेंट के रजिस्ट्रेशन हेतु शिक्षकों के सहायतार्थ शासन को फंड की व्यवस्था करना चाहिए।
- समस्त महाविद्यालय को सी०एस०आर० से फंडिग प्राप्त करने हेतु शासन से प्रयास करना चाहिए।
- उच्च शिक्षा में ए०आई० का उपयोग कहाँ हो या कहाँ नहीं ताकि सृजनशीलता खत्म न हो। इसमें शासन स्तर पर विभाग के अधिकारियों एवं संबंधित मंत्रिगणों की एक बैठक प्रतिवर्ष होनी चाहिए, जिसमें यह निर्धारित किया जाए कि विभाग में इस वर्ष नया क्या–क्या होना है।
- फीस स्ट्रक्चर पर विभाग में चर्चा की जानी चाहिए और छात्रनिधि को उपयोग करने हेतु प्राचार्य स्तर पर समिति बनाकर किया जाना चाहिए जिसमें शासन का कम से कम हस्तक्षेप हो।
- एम०एस०एम०ई० एवं विभिन्न उद्योग के विशेषज्ञों की सेवायें ली जायें। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में स्टार्ट–अप, इन्क्यूबेशन सेन्टर एवं क्लस्टर लैब की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जा सकें।
- रोजगारपरक स्किल डेवलेपमेंट कोर्सों को यू०पी० स्किल डेवलेपमेंट मिशन, बीएफएसआई, नैपटेल के माध्यम से आरम्भ करया जाए ताकि छात्र–छात्राओं को रोजगार मिल सकें।
- शिक्षकों को अपना एच एवं साइटेशन इंडेक्स बढ़ाये जाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।
- जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन की तैयारी करने के लिए पिछले तीन साल का डाटा तैयार करना, छात्रों की सर्वांगीण विकास प्रवृत्तियों का अधिकतम आयोजन करना, सांस्कृति, साहित्यिक, खेल–कूद की प्रवृत्तियों के फोटोग्राफ को जब रिपोर्ट में दर्शाया जाता है ऐसे समस्त फोटोग्राफ एक्टिविटी बेस्ड हों जिनमें छात्र–छात्राओं, प्रतिभागियों के फोटो सामने से लिये जाने चाहिए। समस्त फोटोग्राम कैप्शन सहित जियो टैगिंग होने चाहिए। स्पोर्टस के फोटोग्राफ में छात्र–छात्रा प्रतिभाग करते हुए एवं कुछ छात्र–छात्रा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए प्रदर्शित करने चाहिए।
- समस्त महाविद्यालयों में ऐसे खेलों को अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिनमें न्यूनतम धनराशि व्यय होती है यथा कबड्डी, खो–खो, दौड़ लम्बी कूद, ऊंची कूद, योग इत्यादि।
- समस्त महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं, कार्मिकों एवं अधिकारियों को खेलो इंडिया में भाग लेने के लिए अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- महाविद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने के दृष्टिगत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 15 कि०मी० की परिधि में स्थित इंटर कालेजों के साथ भी करना चाहिए ताकि इंटर के छात्र महाविद्यालय के वातावरण से अच्छी तरह परिचित होकर वहाँ उच्च शिक्षा में अध्ययन करने के लिए प्रवेश लेने हेतु उत्सुक हो सकें।
- समस्त महाविद्यालयों को अपनी–अपनी टीमें अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भेजनी चाहिए तथा वहाँ से चयनित होने पर अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- समस्त महाविद्यालयों से प्रतिवर्ष क्रीड़ा मद में खरीदे जाने वाली सामाग्री का विवरण निदेशालय को प्राप्त करना चाहिए तथा महाविद्यालय ने छात्र–छात्राओं की रूचि की क्रीड़ा सामाग्री के क्रय हेतु यथावश्यक उपलब्ध संसाधनों के अनुपात में बजट आवंटित करना चाहिए।
- प्रत्येक महाविद्यालय में योग एक्टिविटी करानी चाहिये तथा जहाँ छात्र–छात्राएं योग प्रैक्टिस में उच्च मानक स्थापित करते हों उन महाविद्यालयों को इसे इस बेस्ट प्रैक्टिस बनाया जाना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को विभिन्न अवसरों पर पद यात्राएं/साइकिल यात्रा आयोजित कर छात्र–छात्राओं के अनुभवों को एक स्मारिका में प्रकाशित करना चाहिए तथा अच्छे अनुभवों को लिखने वाले छात्र–छात्राओं को पुरस्कृत करना चाहिए।
- जिन महाविद्यालयों में ओपन या इंडोर जिम बने हुए हैं, उनका बेहतर उपयोग करने के लिए शिक्षण सत्र के प्रारम्भ में ही छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराना चाहिए तत्पश्चात उन्हें जिम में न्यूनतम 01 घंटे अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए 06 माह बाद उनका फिर से स्वास्थ्य परीक्षण कर यह देखना चाहिये कि जिम का उपयोग करने पर छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य मानकों में तुलनात्मक रूप से क्या सुधार हुआ है। इसका रिकार्ड भी संधारित करना चाहिए।
- छात्र–छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु निरंतर प्रोत्साहित करना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को प्रतिदिन न्यूनतम 01 घंटे पुस्तकालय में पुस्तकों के माध्यम से एक साथ अध्ययन करना चाहिए ताकि अध्ययन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सके। पढ़े महाविद्यालय–बढ़े महाविद्यालय तथा पढ़े विश्वविद्यालय–बढ़े विश्वविद्यालय जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए।
- पुस्तकालयों में सबसे प्राचीन पुस्तकों, पाण्डुलिपियों को डिजिटिली स्कैन कराते हुए उन्हें अलग सेक्शन में प्रदर्शित करना चाहिए तथा छात्र–छात्राओं को उन्हें पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।
- ज्ञान भारत में एक डिजिटल मंच है, जिसे प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉच किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और उनके पारंपरिक ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना है। यह पोर्टल लगभग 01 करोड़ प्राचीन हस्तलिपियों को डिजिटाइल करने और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है, यह भारतीय संस्कृति और साहित्य के पुनर्जागरण का प्रतीक है, जो संरक्षण, नवाचार, परिवर्धन और अनुकूलन पर आधारित है। इस हेतु सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश के नोडल एजेंसी बनाया गया है। सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को महामहिम द्वारा पाण्डुलिपियों को संरक्षित रखने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

- समस्त महाविद्यालयों को वन नेशन वन सबसक्रिप्शन (ओएनओएस) एवं इनफ्लिबनेट (INFLIBNET) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी कुलपतियों को निर्देशित किये जाने पर बल दिया।
- समस्त महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में एक पुस्तक निर्गमन रजिस्टर रखा जाना चाहिए तथा छात्र–छात्राओं को पुस्तकें निर्गत करने के पश्चात यह भी आकलित करना चाहिए कि छात्र–छात्राओं ने उन पुस्तकों का अध्ययन किया अथवा नहीं। इस हेतु छात्र–छात्राओं से उस पुस्तक पर एक लेख लिखने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त सर्वश्रेष्ठ लेखकों को एक पुस्तक का प्रकाशन कराये जाने की परम्परा रखना चाहिए।
- पुस्तकालयों को डिजिटल लाईब्रेरी एवं ई० लाईब्रेरी में परिवर्तित कर उन्हें आधुनिक करने का प्रयास निरंतर करना चाहिए।
- माननीय कुलाधिपति महोदया जी ने समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण को निर्देश दिया कि अपने–अपने कैम्पसों में मियाबाकी तकनीक से सघन वृक्षारोपण किया जाये। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम लगाये जाने हेतु समस्त छात्र–छात्राओं को निर्देशित करने हेतु निदेशित किया।
- विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सोलर सिस्टरम की व्यवस्था लागू की जाये साथ ही एल०ई०डी० बल्ब का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाए।
- ग्रीन ऑडिट, जीरो पॉल्यूशन तथा अन्य सर्टिफिकेट हेतु संस्थाओं को प्रयत्नशीन रहना चाहिए। परिसर में वाटर हार्वेस्टिंग/वाटर बॉडीज की भी व्यवस्था रखनी चाहिए।
- बैठक के दौरान माननीय कुलाधिपति महोदया जी ने जिन महाविद्यालयों में छात्रावास तथा प्राचार्य के आवास बिना उपयोग के पड़े हैं उन्हें मरम्मत कार्य करवाकर शैक्षणिक उपयोग में लाना चाहिए।
- हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यह आवाहन किया गया है कि देश में ईंधन की बचत करने की आवश्यकता है जिसकें क्रम में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को माननीय महोदया जी द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि वे भी अपने स्तर से यथा संभव प्रयास करें।

आपसे अपेक्षा है कि आप माननीया कुलाधिपति जी के आदेशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
(हस्ताक्षर) 13/7/26
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को माननीया कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. परीक्षा नियंत्रक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03. वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
04. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

(हस्ताक्षर) 13/7/26
कुलसचिव